

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हितलाभ के शिष्य वृत्ति के भुगतान हेतु ₹ 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 से 8

नियमित स्थापना एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु ₹ 244.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,44,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 से 10

स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण अन्तर्गत कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मकान किराया भत्ता के भुगतान हेतु ₹ 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 से 13

नियमित स्थापना एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, मकान किराया भत्ता के भुगतान हेतु ₹ 32.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 32,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 21

नियमित स्थापना एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु ₹ 243.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,43,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

जिला कबीरधाम विकासखण्ड पंडिरिया के पाण्डातराई जल प्रदाय योजना (अनुमानित लागत राशि ₹ 294.13लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। इस हेतु ₹ 100 प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 23

नाबाड़ के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 1400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।